न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट्रेक),डीग

मु0नम्बरः– 241/2011(जी.सी.एम.एस. 2011/00002)

पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. जलीश
2. जमील
3. जहीर
4. जाहिद

} पिस0 उस्मान जातियान मेव नि0 वल्देववास तहसील डीग

5. उमरमौहम्मद पुत्र इनायतखॉ –मृतक

5/1. कासिफ
5/2. आसिफ
5/3. असफाक

} पिस. उमरमौहम्मद जाति मेव नि0 ग्राम बल्देववास तहसील डीग

5/4. परमीना पुत्री स्व. श्री उमरमौहम्मद पत्नी दिलावर जाति मेव नि0 ग्राम खेरला तहसील लक्ष्मणगढ (अलवर)राज.

5/5. मिस्कीना पुत्री स्व. श्री उमरमौहम्मद पत्नी इस्लाम जाति मेव नि0 ग्राम चंदूपुरा तहसील पहाडी

5/6. सवाना पुत्री स्व0 श्री उमरमौहम्मद पत्नी साबिर जाति मेव नि0 ग्राम खंडेवला तहसील पहाडी

5/7. आयना पुत्री उमरमौहम्मद पत्नी जाबेद जाति मेव नि0 ग्राम सामदीका तहसील पहाडी

5/8. आरिज पुत्र फेसर नाती उमरमौहम्मद जाति मेव नावा0 ववलायत असफाक उमर ताऊ खुद नि0 बल्देववास तहसील डीग

6. फरीदखॉ पुत्र इनायतखॉ जाति मेव नि0 ग्राम बल्देववास तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. आसमौहम्मद पुत्र सुलेमान जाति मेव नि0 ग्राम बहादुरपुर तहसील कामॉ
2. रहीसन पुत्री सुलेमान पत्नी ईशाक जाति मेव नि0 हाल ग्राम झाडा तहसील पुन्हाना जिला नॅूहमेवात
3. हमीदा पुत्र सुलेमान जाति मेव नि0 ग्राम भण्डारा तहसील कामॉ
4. फईमन पुत्री सुलेमान पत्नी मजीद जाति मेव हाल नि0 ग्राम झाडा तहसील पुन्हाना जिला नॅूहमेवात
5. साबुद्दीन पुत्र सुलेमान जाति मेव नि0 ग्राम बहादुरपुर तहसील कामॉ
6. अत्तम पुत्र सुलेमान जाति मेव नि0 ग्राम खानपुर धीमरी तहसील किशनगढ जिला अलवर
7. तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89व 188 आर.टी.एक्ट,

सहायक अधिकारी डीग (डीग) राज.

निर्णय

दिनांक: 20.12.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 386/0.71,हैक्टे0 वाके ग्राम रूंधखोह पटवार क्षेत्र जटेरी तहसील डीग में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 265/4-6 से दौराने सैटिलमेंट कायम किया गया है। आराजी मुत0(साविक खसरा नम्बर 265) पर सम्बत 2012 से पूर्व से वादी संख्या 01 लगायत 04 का परवावा व वादी संख्या 5 व 6 का बाबा धुन्धल वाहैसियत खातेदार का तकार काबिज का त चला आ रहा था और राजस्व रिकार्ड में धुन्धल को साकिन देह शिकमी दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जा रहा था और यह अंकन लगातार सैटिलमेंट से पूर्व तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता रहा। परन्तु दौराने सैटिलमेंट गलत तरीके पर धुन्धल के नाम का बतौर शिकमी का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हटा दिया गया जबकि राज0 काश्तकारी अधि0 लागू होने के समय ही धुन्धल को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और उसे सम्बत 2012 में ही विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिए था विवादित आराजी पर धून्धल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इनायत व उसकी मृत्यु के पश्चात उस्मान खॉ,उमर मौहम्मद व फरीदखॉ काबिज काश्त हुए और उस्मान की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से पर उसके पुत्रगण वादीगण संख्या 01 लगायत 04 काबिज काश्त हुए आराजी मुत0 पर आज भी वादीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार भांतिपूर्वक तरीके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रति0 संख्या 01 लगायत 06 के पिता सुलेमान पुत्र हल्ला कॉम मेव नि0 रूंधखोह को विवादित आराजी पर दौराने सैटिलमेंट मनभर, घन्टोली पिस0 सुल्लाखॉ कॉम फकीर नि0 बल्देववास के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया गया है। परन्तु विवादित आराजी पर कभी भी नातो सुलेमान पुत्र हल्ला का और ना उससे पूर्व मनभर, घन्टोली आदि का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नहीं था और रिकार्ड में उन्हें गलत तरीके पर खिलाफ कानून व मौका खातेदार का तकार दर्ज किया जाता रहा है। सुलेमान पुत्र हल्ला ने वादी संख्या 01 लगायत 4 के पिता उस्मान खॉ व प्रति0 संख्या 05 व 06 से दिनांक 30.08.95 को एक मुहायदा इस आशय का किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 386 पर पहले से (यानि आज से करीव 15 साल पूर्व)कब्जा उस्मान खॉ उमरमौहम्मद व फरीदखॉ का है और इनसे मैने 500रू0 नकद प्राप्त कर लिये और जब भी यह कहेंगे तो मैं इनके पक्ष में बयनामा तहरीर व तस्दीक कर दूंगा। उस्मान खॉ,उमरमौहम्मद व फरीदखॉ ने कई मर्तवा उससे उनके पक्ष में बयनामा तहरीर व तस्दीक कराने को कहा था परन्तु उसकी बीमारीवश मृत्यु हो गई और मुताविक मुहायदा बयनामा दर्ज नहीं करा सका। प्रति0 संख्या 01 लगायत 6 उसके वारिसान है जो अपनी शकूनत तर्क कर वादपत्र में अंकित पतों पर निवास कर रहे है विवादित इकरार नामा0 ता0 30.08.95 से भी विवादित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

वादीगण का कब्जा काश्त वाहैसियत खातेदार काश्तकार साबित है और वादीगण का कब्जा प्रति0 की खुल्लमखुल्ला जानकारी मे विगत 60 साल से अधिक समय से वाहैसियत खातेदार का तकार होने की तथ्य की जानकारी है और इस प्रकार वादीगण का आराजी मुत0 पर प्रतिकूल कब्जा भी होने से वादीगण आराजी मुत0 पर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 386/0.71 वाके ग्राम रूंधखोह पटवार क्षेत्र जटेरी तहसील डीग के हिस्सा 1/3 के वादीगण संख्या 01 लगायत 04 वाहिस्सा बरावर व हिस्सा 1/3 पर वादी संख्या 5 व हिस्सा 1/3 पर वादी संख्या 06 वाहैसियत खातेदार का तकार काबिज है। वर्तमान में जो इन्द्राज प्रति0 के पिता सुलेमान पुत्र हल्ला मेव निवासी रूंधखोह तहसील डीग के नाम दर्ज किया जा रहा है को कलमजन किये जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्ज काश्त से बेदखल नहीं करें व कब्जा नाजायज नहीं करें तथा रहन वय मुन्तकिल नहीं करें।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.02.2012 को प्रति0 संख्या 1, 3, 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रति0 संख्या 7 तहसीलदार के प्रतिनिधि उपस्थित आये। प्रति0 संख्या 2, 4, 5, 6 की जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. तामील कराई गई ये बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.02.2012 को दावे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से सावित नहीं होने पर दिनांक 18.08.2015 को सुनवाई उपरांत खारिज किया गा। प्रति0 के द्वारा जबाव दावा पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 09.11.2016 को जबाव प्रति0 बंद या गया। साक्ष्य वादीगण में बयान पंजीबद्व कराये जाकर साक्ष्य वादीगण दिनांक 19.12.2017 को बंद ये गये। प्रति0 की ओर से कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने पर प्रकरण को वास्ते बहस में रखा गया। ांक 07.03.2024 को वादीगण वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी.पेश किया गया। जोकि ार किया जाकर मृतक वादी उमरमौहम्मद के आगे मृतक भाब्द अंकित किये जाने के आदेश प्रदान गये। दिनांक 22.05.2024 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा प्रति0 संख्या 5/1 से 5/7 ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

ण में प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस रान वकील वादीगण ने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि वादीगण के दावे में वर्णित को ही बहस मानते हुए दावा वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

ी पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,बयान गवाह, का अवलोकन किया गया जाकर वकील वादीगण की पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादीगण के वादपत्र, PW1 नूरू PW2 जमील,जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 जिसमें खसरा नम्बर 386 रकबा 0.71 सुलेमान पुत्र हल्ला कॉम मेव प्रति0 सं. 01 लगायत 06 के बिना नाम खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–1, 20 रू. के स्टाम्प पर इकरारनामा बावत विक्रय किये जाने खसरा नम्बर 386/0.71 सुलेमान द्वारा वादीगण संख्या 01 लगायत 04 के पिता उस्मान, 5/1 लगायत 5/8 के पिता उमरमौहम्मद,प्रति0 संख्या 6 के हक में दिनांक 30.08.1995 को प्रदर्श–2,जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2026 साविक खसरा नम्बर 265 रकबा 4 वीघा 6 विस्वा किस्म डहरी मनभर घन्टोली पिस0वुलाखी वाहिस्सा बरावर गैर खातेदार खुदकाश्त धुन्धल वल्द घूडा कॉम मेव सा0 पाडला दर्ज है। प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2018 से 2021 साविक खसरा नम्बर 03 वीघा 06 विस्वा मनभर व घन्टोली पिस0 वुलाखी कॉम फकीर सा0 बल्देववास जमीदार वाहिस्सा बरावर काश्त धुन्धल वाहैसियत शिकमी दर्ज प्रदर्श–4,जमाबन्दी सम्बत 2010 से 2013 साविक खसरा नम्बर 265 रकबा 4 वीघा 6 विस्वा मनभर वगै0 मु0 खा0 जमीदार व काश्त धुन्धल वल्द धूडा कॉम मेव सा.देह शिकमी दर्ज है। प्रदर्श–5, भू–प्रबंध खसरा पत्रक सम्बत 2032–2033 में साविक खसरा नम्बर 265 रकबा 4 वीघा 6 विस्वा का सम्बत 22 में मनभर घन्टोली पिस0 सुलाखा हि0 बरावर कॉम फकीर सा0 बल्देववास खातेदार काश्त धुन्धल पुत्र धूडा कॉम मेव सा0 पाडला शिकमी दर्ज है। जिसकी प्रविष्टियों के आदेश ARO 2584/412 क्रमांक 310 खसरा नम्बर 386 रकबा 0.71 पर सुलेमान पुत्र हल्ला कॉम मेव को खातेदार दर्ज किया है।

वादीगण ने खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। खातेदारी अधिकार धारा 13 या 15 या 19 के मूलतय सिद्व होने पर ही प्राप्त हो सकते है। खुदकाश्त के आसामीयों या शिकमी आसामियों के अन्तर्गत धारा 19 से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 खुदकाश्त के कतिपय अभिधारियों और उप अभिधारियों को अधिकारों का प्रदान किया जाना प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के प्रारंभ के समय (क) उस समय चालू वार्षिक रजिस्टर में वाग–भूमि से भिन्न भूमि के खुदकाश्त के अभिधारी या उप अभिधारी के रूप में दर्ज था या (ख) इस प्रकार से दर्ज तो नहीं था लेकिन जो वाग भूमि से भिन्न भूमि के खुदकाश्त का अभिधारी या उप–अभिधारी था।

राजस्थान,अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 1959 के प्रारम्भ की तारीख से जिसे इसके पश्चात इस अध्याय में नियत तारीख के रूप में निर्दिस्ट किया गया है,इस अध्याय में अभाविष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन,अपने द्वारा धारित भूमि के ऐसे भाग का जो धारा 180 की उपधारा(1)के खण्ड (क)के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये न्यनतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं है या उस अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक है जिससे कि ऐसा व्यक्ति उक्त धारा की उक्त उपधारा के खण्ड (घ) के अधीन

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बेदखली के दायित्वधीन है। खातेदार अभिधारी हो जायेगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त भूमि के उस भाग में के सुधारों में भी अधिकार प्रोदभूत होंगे।

परन्तु यह कि खातेदारी अधिकार या सुधारों में अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत नहीं होंगेः—

(1) यदि उक्त भूमि का ऐसा भाग धारा 46 में प्रमाणित व्यक्तियों में से किसी से धारित करता है या (ाा)यदि धारा 15 की उप धारा (1)के परन्तुक के अधीन या धारा 15 क के अधीन या धारा 15(ख)के अधीन या धारा 16 के अधीन उसमें ऐसे अधिकार प्रोदभूत नहीं होते या (ााा)यदि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात और नियत तारीख से पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विधिपूर्ण या परित्याग के फलस्वरूप या किसी सक्षम राजस्व न्यायालय की विक्री या आदेश के द्वारा और उसके अधीन उन उपबंधों के अनुसार उसको बेदखल कर दिये जाने के कारण ऐसा खुदकाश्त का अभिधारी या उप अभिधारी नहीं रहा है।

1—क उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन उस उप धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान अभिधृति संशोधन अधिनियम 1961 के प्रारम्भ की तारीख से जिसे इसके पश्चात इस अध्याय में नियत दिन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन अपने द्वारा धारित भूमि के उस भाग का खातेदार अभिधारी हो जायेंगा जिसमें उसने उपधारा(1)के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किये है यदि नियत दिन से पूर्व धारा 182क के द्वारा विहित समय ारिसीमा के भीतर धारा 180 की उपधारा(1) के खण्ड क या खण्ड (घ) के अधीन उसकी बेदखली के लेए कोई कार्यवाही ही प्रारम्भ नहीं की गई है या पहले से प्रारम्भ की हुई कोई ऐसी कार्यवाही उस दिन ाम्बित नहीं है।

ारा 19 की उपधारा(1) के अनुसार केवल निम्न दो श्रेणियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैः—

) खुदकाश्त का अभिधारी

) उप—अभिधारी

ेव्यक्ति को निम्नलिखित दो शर्तों में से एक पूरी करनी होगी—

ण्ड (क) जो इस अधिनियम के प्रवृत होने की दिनांक अर्थात 15.10.1955 सम्बत 2012 की बार्षिक जस्टर में खुदकाश्त का अभिधारी या उप अभिधारी दर्ज है या (ख) जो ऐसा दर्ज नही था,परन्तु भूमि उक्त दिनांक को खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी था। इस प्रकार खण्ड(क) में खातेदारी धेकारियों को कानून के प्रवर्तन द्वारा दिया गया है जबकि खण्ड(ख) में उपधारा(2) में बताये गये तरीके सकी घोषणा प्राप्त करनी होगी।

तेदारी अधिकार प्रोदभूत होने के लिए भू—राजस्व अधिनियम की धारा 132 और 137 के अधीन ारित बार्षिक रजिस्ट में प्रबिष्टि होना आवश्यक है।

पेक्षाऐं—आवश्यक शर्तेंः—

(1) नियत तारीख— ये खातेदारी अधिकार, नियत तारीख से दिये जावेंगे जो राजस्थान अभिधृति(संशोधन) अधिनियत 1959 के प्रवृत होने की तारीख अर्थात 05.04.1959 है। (2) ये खातेदारी अधिकार उन अन्य उपबंधों के अध्यधीन है जो इस अध्याय की धारा 20 से 30 क में प्रतिकर सम्बन्धी है। (3)विहित(निश्चित) क्षेत्र— ये अधिकार केवल उतने भाग पर ही मिलेंगे जो उसने धारित किया है। (4)प्राप्त होने वाले अधिकारः— उस सीमित क्षेत्र में उसे खातेदारी अधिकार तथा सुधार करने का अधिकार भी मिलेगा। प्रदर्श—4 जमाबन्दी सम्बत 2010 से 2013 में हाल खसरा नम्बर 386 रकबा 0.71 का साविक खसरा नम्बर 265 रकबा 4 वीघा 6 विस्वा में काश्त धुन्धल वल्द घूडा कॉम मेव सा. देह शिकमी दर्ज है। प्रदर्श—5 भू—प्रबंध खसरा नम्बर पत्रक सम्बत 2032—2033 में दौराने भू—प्रबंध उक्त प्रबिष्टियों के स्थान पर सुलेमान पुत्र हल्ला कॉम मेव खातेदार दर्ज किया है। जिसका भू—प्रबंध कार्मिकों को कोई अधिकार नहीं था। सम्बत 2012 की जमाबन्दी शिकमी से खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए आधार जमाबन्दी है। सम्बत 2012 की जमाबन्दी में दर्ज शिकमी धुन्धल वल्द घूडा के वारिसान वादीगण के वादपत्र अनुसार निम्नांनुसार हैः—

धुन्धल पुत्र घूडा(मृतक)
↓
इनायत खॉ(मृतक)

↓ स्मान खॉ (मृतक) — ↓ उमरमौहम्मद(मृतक) — ↓ फरीदखॉ वादी सं.6

स्मान खॉ (मृतक): ↓ लीश (दी—1), ↓ जमील (वादी—2), ↓ जहीर (वादी—3), ↓ जाहिद (वादी—4)

उमरमौहम्मद(मृतक): ↓ कासिफ, ↓ आसिफ, ↓ असफाक, ↓ परमीना, ↓ मिस्कीना, ↓ सवाना, ↓ आयना, ↓ आरिज
वादी—5/1, 5/2 वादी—3 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8

जस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय ही धुन्धल को खातेदारी अधिकार सम्बत 2012 में प्राप्त हो गये थे, जिसे विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना हेए था।

ाने भू—प्रबंध प्रति0 संख्या 01 लगायत 06 के पिता सुलेमान पुत्र हल्ला कॉम मेव नि0रूंध खोह को भर,घण्टोली पिस0 सुल्ला खॉ कॉम फकीर नि0 वल्देववास के स्थान पर सुलेमान को खातेदार दर्ज दिया गया है। धुन्धल की बकाश्त शिकमी की प्रविष्टियों को हटा दिया गया है। जो गलत है। प्रबंध को यह अधिकार नहीं था। प्रति0 संख्या 01 लगायत 6 के पिता सुलेमान प्रदर्श—1 के अनुसार गण संख्या 01 लगायत 04 के पिता उस्मान 5/1 लगायत 5/8 के पिता उमरमौहम्मद प्रति0 या 6 फरीदखॉ के हक में 31,500/—रू0 शब्देनःइक्तीस हजार पॉच सौ में विक्रय किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

इकरारनामा किया है। प्रति0 संख्या 2,4,5,6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। प्रति0 द्वारा कोई जायदाद कोई जबाव दावा पेश नहीं किया गया है। साक्ष्य प्रति0 भी नहीं करवाई गई है। वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19–1(क) खातेदार बनने की पात्रता एवं आवश्यक शर्ते पूरा करते है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.71 वाके ग्राम रूंध खोह पटवार क्षेत्र जटेरी तहसील डीग के हिस्सा 1/3 पर वादीगण संख्या 01 लगायत 04 वाहिस्सा बरावर, हिस्सा 1/3 पर वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/8 वाहिस्सा बरावर, हिस्सा 1/3 पर वादीगण संख्या 6 के नाम दर्ज किये जाने तथा उक्त खसरा नम्बर 386 रकबा 0.71 पर दर्ज वर्तमान प्रविष्टियों को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

प्रति0 संख्या 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से जरिये डिक्री पावंद किया जाता है कि प्रति0 गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण को वेदखल कर कब्जा नाजायज ना करें व आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner